झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक अपील (खण्डपीठ) संख्या 646/2018

(सत्र विचारण *संख्या 329/2011 में विद्वान चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 04.05.2018 और सजा के आदेश दिनांक 09.05.2018 के खिलाफ)*

बिनोद कुमार खत्री, पिता - स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद खत्री, निवासी - लोहार लाइन, गोलमुरी बाजार, डाक घर और थाना - गोलमुरी, टाउन: - जमशेदपुर, जिला:- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, (झारखंड) .....**अपीलार्थी**

[आपराधिक **अपील (**खण्डपीठ**) संख्या 646/2018 में]**

के साथ

मनीष अग्रवाल, पिता /-:- सत्य नारायण लाल अग्रवाल, निवासी 25/बी, शिव सिंह बागान, एग्रीको ईस्ट, डाक घर और थाना सिद्धगोरा, टाउन: जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम .....**अपील**कर्ता

[आपराधिक **अपील (**खण्डपीठ**) संख्या 628**/2018 **में]**

के साथ

मंटू अग्रवाल उर्फ़ मंटू उर्फ़ आलोक अरवाल, पिता :- स्वर्गीय नागरमल अग्रवाल, निवासी फ्लैट नंबर 21, तरुण अपार्टमेंट, डाक घर रोड, डाक घर और थाना :- मैंगो, मैंगो , टाउन: जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम का उपयोग कर सकते हैं**..... ..... अपीलकर्ता**

[आपराधिक **अपील (**खण्डपीठ**) संख्या 640/2018 में]**

बनाम

झारखंड राज्य.....उत्तरदाता

[सभी मामलों में]

कोरम: श्री आनंद सेन, जे.

श्री सुभाष चंद, जे.

अपीलकर्ता के लिए : श्री अरविंद कुमार, एडवोकेट
[2018 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 646 में] श्री एके कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री अमित कुमार, एडवोकेट
[2018 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 628 में]
श्री अमित कुमार, एडवोकेट

[2018 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 640 में]

राज्य के लिए : श्रीमती नेहला शर्मिन, एपीपी

[2018 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 646 में]

श्री साकेत कुमार, एपीपी

[2018 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 628 में]

श्रीमती वंदना भारती, एपीपी

[2018 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 640 में]

सीएवी ऑन: 02/04/2024 घोषित:**16/04/2024**

निर्णय

न्यायमूर्ति: सुभाष चंद, के अनुसार

1. इन आपराधिक अपीलों को विद्वान चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 329/2011 में दिनांक 04.05.2018 के दोषसिद्धि के निर्णय और पारित सजा के आदेश दिनांक 09.05.2018 के खिलाफ पसंद किया गया है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दं ड संहिता की धारा 302/34 और 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/35 के तहत दोषी ठहराया है । भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 120-बी के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 20,000 / जुर्माना देने की सजा सुनाई गयी है, 20000 न जमा करने की स्थिति में अपीलकर्ताओं को छह महीने तक सश्रम कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया। उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 27/35 के तहत 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अपीलकर्ताओं को तीन माह सश्रम कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया।

2. चूंकि इन तीनों आपराधिक अपीलों को सामान्य आक्षेपित निर्णय के खिलाफ निर्देशित किया गया है, इसलिए, इन अपीलों का निर्णय इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

3. इन आपराधिक अपीलों की ओर ले जाने वाले अभियोजन मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सूचक हरीश कुमार तलवानी ने इन आरोपों से संबंधित पुलिस स्टेशन में लिखित जानकारी दी थी कि उसका छोटा भाई किरण तलवानी और वह खुद 10-12-2010 को रात

09:30 बजे दुकान बंद करके घर के लिए रवाना हुए लेकिन उसका छोटा भाई किरण तलवानी अपनी हीरो होंडा ग्लैमर मोटरसाइकिल से आगे निकल गया और जब वह अपने मां जो उसके साथ सब्जी खरीद रही थी, को लेकर अपनी स्कूटर से घर के लिए चला

जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्होंने किरण तलवानी की पत्नी के रोने की आवाज सुनी कि किसी ने उनके पति को गोली मार दी है। वह तुरंत घर के अंदर गए और अपने छोटे भाई किरण तलवानी को घायल अवस्था में पाया। लेकिन पड़ोसियों की मदद से उसे इलाज के लिए जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल ले जाया गया। किरण तलवानी की पत्नी ने बताया कि हमलावरों ने तीन गोलियां चलाई थीं, जबकि पड़ोसी गोपाल, जिसकी दुकान उसके घर से सटी हुई थी, ने बताया कि शूटर दो की संख्या में थे और बाइक से आए थे। किरण तलवानी को गोली मारने के बाद हमलावर हवा में गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। उसके भाई से कोई दुश्मनी नहीं थी लेकिन वर्ष 2009 में बदमाशों ने फिरौती के लिए फायरिंग की थी, जिसका उस समय संबंधित थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। इस लिखित सूचना पर अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 326, 307/34 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत गोलमुरी थाना कांड संख्या 2010 का 312 दर्ज किया गया एवं उपचार के दौरान घायल की मृत्यु हो गयी एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई थी।

4. अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान पूरा करने के बाद, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 120-बी के तहत और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/35 के तहत अभियुक्त बिनोद कुमार खत्री और मनीष अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और मंटू अग्रवाल उर्फ़ मंटू उर्फ़ आलोक अग्रवाल के खिलाफ भी उन्हीं धाराओं के तहत अलग आरोप पत्र दायर किया गया। संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान

लिया गया, जिन्होंने मामले को विचारण के लिए सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर के न्यायालय को सौंप दिया, जिसने बाद में इसे चौथे अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 120-बी, तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27/35 के तहत आरोप बिरचित किया और उन्हें वही समझाया गया, उन्होंने आरोप से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने का दावा किया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कुल उन्नीस गवाहों का परीक्षण किया गया यानी **पी.डब्ल्यू.-1, हरीश कुमार तिलवानी**; **पी.डब्ल्यू.-2, चंद्र प्रकाश तिलवानी; पी.डब्ल्यू.-3, राजेश तिलवानी; पी.डब्ल्यू.-4, वृंदालाल राम; पी.डब्ल्यू.-5, रीतू तिलवानी; पी.डब्ल्यू.-6, चंद्र भूषण सिंह; पी.डब्ल्यू.-7, कमलजीत राम; पी.डब्ल्यू.-8, डॉ. सुनील कुमार; पी.डब्ल्यू.-9, डॉ. आशीष जैन; पी.डब्ल्यू.-10, शिव नारायण राम; पी.डब्ल्यू.-11, सिमा तिलवानी; पी.डब्ल्यू.-12, याशिका तिलवानी; पी.डब्ल्यू.-13, राजेश प्रकाश सिन्हा; पी.डब्ल्यू.-14, सुधीर कुमार; पी.डब्ल्यू.-15, सुभाष कुमार; पी.डब्ल्यू.-16, गोपाल खरबंदा; पी.डब्ल्यू.-17, कन्हैया प्रसाद सिंह; पी.डब्ल्यू.-18, तौफीक अहमद और; पी.डब्ल्यू.-19, राजेश कुमार रंजन** और **दस्तावेजी साक्ष्य में** अभियोजन पक्ष ने **अग्रेषण रिपोर्ट को छोड़कर प्रदर्श-1, फर्द** बयान; **प्रदर्श1/1, फर्दबयान; प्रदर्श-1/2, फर्द बयान पर पृष्ठांकन प्रदर्श-1/3, फर्दबीयन पर अग्रेषण; प्रदर्शनी -2, टीआईपी मोटरसाइकिल का चार्ट; प्रदर्श-3 सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीडब्लू -7 का विवरण; प्रदर्श-4, मृतका के उपचार के संबंध में टीएमएच की पर्ची दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 को डॉ. अन्विता द्वारा तैयार की गई; प्रदर्श-5, डॉ. मलिका अर्जुन द्वारा तैयार**

मृतक के उपचार के संबंध में टीएमएच की पर्ची; प्रदर्श-6, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को डा अन्विता द्वारा तैयार मृतक के उपचार के संबंध में टीएमएच की पर्ची; प्रदर्श-7, डॉ. वाई. परवेज द्वारा तैयार की गई मृतक के उपचार के संबंध में टीएमएच की पर्ची दिनांक 16 दिसंबर, 2010; प्रदर्श-8, मृतक के उपचार के संबंध में टीएमएच की मेडिकल स्लिप दिनांक 16 दिसंबर 2010 को दोपहर 1:10 बजे - दोपहर 3:30 बजे डॉ.पी.समद्दो द्वारा लिखित और तैयार; प्रदर्शनी -9, पोस्टमॉर्टम; प्रदर्श -10, पीडब्लू -10 द्वारा उत्पादित आग्नेयास्त्र के उत्पादन के संबंध में चालान; प्रदर्श-11,

बिनोद खत्री से बरामद सामग्री के संबंध में दिनांक 25.01.11 की जब्ती सूची; बिनोद खत्री के किराए के मकान से बरामद सामग्री के संबंध में प्रदर्श-12, जब्ती सूची दिनांक 25.01.11; प्रदर्श-13, बिनोद खत्री का इकबालिया बयान (पीडब्लू 14 के बयान के आधार पर चिह्नित प्रदर्शन); प्रदर्श-14, मनीष अग्रवाल का इकबालिया बयान (पीडब्लू 14 के बयान के आधार पर चिह्नित प्रदर्श); प्रदर्श -15 और 15/1, प्रदर्श 15/2 पर PW-15 और PW-16 का हस्ताक्षर; प्रदर्श-15/2, तीन खाली कारतूसों की जब्ती सूची दिनांक 10.12.2010; प्रदर्श-16, बिनोद खत्री का इकबालिया बयान (पीडब्लू 17 के बयान के आधार पर चिह्नित प्रदर्शन); प्रदर्श-17, सुनील यादव के घर से बरामद आग्नेयास्त्र और कारतूस के संबंध में दिनांक 28.01.11 की जब्ती सूची; प्रदर्श-18, मनीष अग्रवाल के कब्जे से बरामद सामग्री के संबंध में दिनांक 29.01.11 की जब्ती सूची; प्रदर्श-19, मनीष अग्रवाल का इकबालिया बयान, (पीडब्लू 17 के बयान के आधार पर चिह्नित)प्रदर्श 20 प्रस्तुति सहजप्ती सूची दिनांक 29-01-2011 मोटर साइकिल नंबर JH05 के 3533 के सम्बन्ध में, प्रदर्श-21, मंटू अग्रवाल का इकबालिया बयान; प्रदर्श -22, एफएसएल रिपोर्ट; प्रदर्श-23 और 23/1, पीडब्लू-19 द्वारा सामग्री के उत्पादन के संबंध में चालान अग्रेषित करना।

7. अभियुक्त व्यक्तियों का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने खिलाफ सबूतों में आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। आरोपियों की ओर से बचाव साक्ष्य में दो बचाव पक्ष के गवाहों डीडब्ल्यू-1, सुमित कुमार अग्रवाल और डीडब्ल्यू-2, सरोज मिश्रा से पूछताछ की गई।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद,

दिनांक 04.05.2018 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 09.05.2018 के सजा के आदेश में आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/35 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें ऊपर बताए अनुसार सजा सुनाई गई।

9. 04.05.2018 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और 09.05.2018 के सजा के आदेश से व्यथित, इन तीन आपराधिक अपीलों को अपीलकर्ताओं की ओर से इस आधार पर प्राथमिकता दी गई है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा का आदेश कानून की नजर में खराब है और यह साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित नहीं है। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज निष्कर्ष विकृत है। उपरोक्त के मद्देनजर, सभी तीन आपराधिक अपीलों की अनुमति देने और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की।

10. हमने अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील और राज्य के लिए विद्वान एपीपी की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं पारित सजा के आदेश के आक्षेपित निर्णय की वैधता और औचित्य का निर्णय करने के लिए, हम रिकॉर्ड पर पार्टियों की ओर से पेश किए गए साक्ष्य के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करते हैं, जिन्हें यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

11.1 **पीडब्लू-1 हरीश कुमार तिलवानी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि उनका फर्दबयान गोलमुरी थाना प्रभारी ने दर्ज की थी। यह संबंधित थाना प्रभारी थाना की हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर में प्रदर्श-1 अंकित है। दिनांक 10.12.2010 को वह अपने छोटे भाई किरण कुमार

तिलवानी के साथ रात 09:30 बजे दुकान बंद कर घर के लिए निकल पड़ा। उसका भाई बाइक पर था और वह स्कूटर पर था।

उसका भाई उसके आगे चला गया और वह सब्जी खरीद रही अपनी मां को लेकर घर के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने अपने छोटे भाई की पत्नी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनी कि किसी ने उसके पति को गोली मार दी है। वह कमरे के अंदर गया और किरण तिलवानी को घायल हालत में पाया। उसे टीएमएच अस्पताल, जमशेदपुर ले जाया गया और 22-12-2010 को उपचार के दौरान उसके भाई की मृत्यु हो गई। वर्ष 2009 में फिरौती की मांग भी की गई थी, उसी के लिए उस समय मामला भी दर्ज किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना भी फिरौती के लिए हुई थी। जिरह में, इस गवाह का कहना है कि उसके भाई को उसके घर पहुंचने से पहले गोली मार दी गई थी और उसने घटना नहीं देखी। यह एफआईआर उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी।

11.2पी.डब्ल्यू.-2 के चंद्रप्रकाश तिलवानी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि किरण तिलवानी उनकी चचेर भाई था। दिनांक 10-12-2010 को उसे गोली लगी और उसके बाद उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। वह 10 से 19 दिसम्बर, 2010 तक टीएमएच अस्पताल, जमशेदपुर में भर्ती थे। इसके बाद उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 10 से 19 दिसम्बर, 2010 के बीच 16 दिसम्बर, 2010 को किरण तिलवानी को होश आया और जब वह आईसीयू में थे तो उन्होंने उन्हें बताया कि दो व्यक्ति बाइक से आए थे। पीछे बैठे बिनोद कुमार खत्री ने गोली मारी जबकि दूसरा मोटरसाइकिल चला रहा था। पुलिस ने दिनांक 14-12-2010 को उसका बयान दर्ज किया। प्रतिपरीक्षा में यह

गवाह कहता है कि उसने घटना नहीं देखी। दिनांक 16.12.2010 को किरण तिलवानी ने उसे हमलावर का नाम बताया, उस समय राजेश तिलवानी वहां था। वहां और कोई नहीं था। पुलिस ने इस संबंध में उनका बयान दर्ज नहीं किया। वह यह तथ्य पहली बार न्यायालय में बता रहे हैं।

11.3 पी.डब्ल्यू.-3, राजेश तिलवानी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि 22.12.2010 को इलाज के दौरान अपोलो अस्पताल में उसके पति की मौत हो गई। जिरह में इस गवाह का कहना है कि वह हॉर्न की आवाज सुनकर घर से बाहर आई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका पति फर्श पर गिर गया। वह रो पड़ी। उसकी बेटी, उसका बेटा, *गोटनी* और देवर का बेटा वहां आ गया। उसके पति को टीएमएच अस्पताल ले जाया गया। मोटरसाइकिल की संख्या 3533 थी। मजिस्ट्रेट के समक्ष न तो न्यायालय में और न ही जेल में किसी भी अभियुक्त की पहचान नहीं की गई। वह किसी भी हमलावर से परिचित नहीं थी। उसने केवल दो हमलावरों को देखा था जो मोटरसाइकिल से आए थे। मोटरसाइकिल का नंबर 3533 था और उस मोटरसाइकिल पर लाल रंग का निशान था। उसने अपने देवर हरीश तिलवानी को मोटरसाइकिल की संख्या और उस पर लाल रंग के निशान के संबंध में बताया था और यह भी बताया था कि उसके पति ने फर्श पर गिरते समय बिनोद का नाम बताया था।

11.4 पी.डब्ल्यू.-4, बृंदालाल राम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर के आदेश से अदालत में सामग्री प्रदर्श-I, हीरो होंडा मोटरसाइकिल पेश की, जिसे वह *मालखाने* से संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के आदेश से लाया था।

11.5 पी.डब्ल्यू.-5, रीतू तिलवानी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि 10.12.2010 को रात के

10:00 या 10:15 बजे थे। वह कमरे के अंदर थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब उसका पति बाहर आया, बाइक का हॉर्न बजाया, उसके बाद, उसने गोली की आवाज सुनी और उसने सड़क पर देखा, काले रंग की बाइक पर दो लोग, जिनमें से एक ने उसके पति को गोली मार दी। वह टीआईपी में जांच के दौरान मोटरसाइकिल की पहचान करती है। घटना के समय खंभे की बिजली की रोशनी थी। गोली मारने वाले आरोपी का नाम बिनोद खत्री और बाइक पर सवार एक अन्य आरोपी मंटू अग्रवाल है. गोली लगने के बाद उसका पति नीचे गिर गया और उसने हमलावर का नाम बिनोद रख दिया। टीएमएच अस्पताल में उनके पति 10 से 19 दिसम्बर, 2010 तक रहे। इसके बाद, उन्हें दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली ले जाया गया।

वह उस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान करता है। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह को मुकर जाने वाला घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनके बयान और पुलिस को दिए गए बयान में तीनों आरोपियों ने उनसे कहा था कि उन्होंने किरण तिलवानी की हत्या की है। चूंकि तीनों आरोपी उससे परिचित थे, इसलिए उसने उन्हें वहीं रहने की अनुमति दे दी।

11.6 पी.डब्ल्यू.-6 चंद्र भूषण सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि टी.आई.पी. यह उनकी कलम और हस्ताक्षर में था। मोटरसाइकिल की पहचान रीतू तिलवानी ने की। टीआईपी को प्रदर्श -2 के रूप में चिह्नित किया गया है। उस समय वह सर्किल ऑफिसर थे। जिरह में, यह गवाह कहता है कि टीआईपी चार्ट में, किसी समय का उल्लेख नहीं किया गया है। नौ अन्य मोटरसाइकिलें थीं। टीआईपी चार्ट में उसके द्वारा अन्य नौ मोटरसाइकिलों का कोई पंजीकरण नंबर दर्ज नहीं किया गया था। इसकी पहचान किसी स्वतंत्र गवाह ने नहीं की थी।

11.7 पी.डब्ल्यू.-7 कमलजीत राम ने अपने मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 10.12.2010 को 10:00 से 11:00 बजे के बीच में बिनोद खत्री व मंटू अग्रवाल दोनों उनके घर में आए। दोनों नशे की हालत में थे। उन्होंने उसे अपने घर पर रहने के लिए कहा। उस समय वह अपने घर में अकेले थे। उन्होंने उन्हें रुकने की अनुमति दे दी, आधे घंटे बाद मनीष अग्रवाल भी वहां आ गए। इसके बाद सभी रात भर वहीं सो गए और सुबह उसके घर से निकल गए। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनका बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था। 10-12-2010 को किरण तिलवानी को गोली मारी गई। उन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह 10 से 19 दिसम्बर, 2010 तक वहां भर्ती रहे। 16 दिसंबर 2010 को किरण तिलवानी को होश आया और उन्होंने बताया कि हमलावर बाइक से आए थे। बिनोद खत्री ने उसे गोली मार दी, जो पीछे बैठा था और मंटू अग्रवाल बाइक चला रहा था। उस समय वह और चंद्र प्रकाश तिलवानी मौजूद थे। वहां और कोई नहीं था। जिरह में इस गवाह का कहना है कि अस्पताल के आईसीयू में उसकी मौजूदगी के संबंध में किसी रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी। आईसीयू में वह और चंद्र प्रकाश मौजूद थे। किरण तिलवानी के परिवार के सदस्य वहां नहीं थे। इस संबंध में उसने पुलिस को नहीं बताया।

11.8 पीडब्लू-8 डॉ. सुनील कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि 10 से 19 दिसंबर 2010 के बीच वह टाटा मुख्य अस्पताल में एचओडी सर्जरी के पद पर तैनात थे। 10 दिसम्बर, 2010 को रोगी किरण तिलवानी को वार्ड में भर्ती किया गया था। मरीज के शरीर पर गोली लगने से चोट आई है। उन्हें रात करीब 10:30 बजे भर्ती कराया गया था। रोगी की जांच जूनियर डॉक्टर यानी डॉ अन्विता द्वारा की गई थी, जो कॉल पर सर्जन थीं। यह पर्ची डॉ. अन्विता ने तैयार की है, यह दो शीट में है। यह उनकी कलम और हस्ताक्षर में प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित है। 10 और 11 दिसम्बर, 2010 की मध्यरात्रि को 0100 बजे

रोगी का ऑपरेशन उनके दल द्वारा किया गया जिसमें डा वाई परवेज, डा अन्विता, डा मल्लिकार्जुन, डा कोरहे और डा यूके सिंह शामिल थे। यह प्रदर्श-3 चिह्नित तीन पृष्ठों में है। पुन इस दल द्वारा 13 दिसम्बर, 2010 को रोगी का ऑपरेशन किया गया था। 16 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 10:15 बजे रोगी की जांच डॉ. वाई.परवेज द्वारा की गई। यह जांच पर्ची उनकी लिखावट और हस्ताक्षर में प्रदर्श-7 अंकित है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा है कि जी.सी.एस. होश में है उस दिन फिर से डॉ।

डीपी समद्दार ने भी मरीज की जांच की। निरंतरता पर्ची उनकी लिखावट और हस्ताक्षर में प्रदर्श -8 चिह्नित है। उस समय रोगी भी सचेत और सतर्क था। रोगी को बेहतर उपचार के लिए 19 दिसम्बर, 2010 को उच्चतर केन्द्र ले जाया गया। जिरह में इस गवाह का कहना है कि मरीज का इलाज उसकी देखभाल में किया गया।

11.9 पीडब्लू-9 डॉ. आशीष जैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि वह सीनियर रेजिडेंस, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग, एम्स, नई दिल्ली में तैनात थे। उन्होंने किरण तिलवानी के शव का पोस्टमार्टम कराया। यह उनकी लिखावट और हस्ताक्षर में प्रदर्श -9 चिह्नित है। शव को उसके रिश्तेदार हरीश कुमार और आजाद कुमार लाए और उसकी पहचान एएसआई सुरेश चंद और कांस्टेबल मुकेश ने भी की। निम्नलिखित एंटीमॉर्टम चोटें थीं:

> *"(i) बन्दूक (प्रवेश) आकार 1 सेमी x 1 सेमी का घाव मध्य 1/3 पर बाईं जांघ के पार्श्व पहलू पर मौजूद है।*
>
> ***11.9.1*** *आग्नेयास्त्र (प्रवेश) आकार 2cm x 1cm लंबवत अंडाकार का घाव पूर्वकाल पेट की दीवार के दाईं ओर मौजूद था।*
>
> ***11.9.2*** *बन्दूक (निकास) घाव का आकार 3cm x 3cm बाईं ओर मिडएक्सिलरी लाइन पर मौजूद था।*
>
> ***11.9.3*** *क्षैतिज रूप से आकार 3 सेमी x 1 सेमी मांसपेशियों के घाव पर दाईं ओर आंतरिक पेट की दीवार पर मौजूद था। चोट नंबर 5 से 13 सर्जिकल घाव थे।*

जिरह में, इस गवाह का कहना है कि चोट नंबर 1 से 4 बन्दूक के कारण हुई थी

और बाकी चोटें सर्जिकल उद्देश्य के लिए बनाई गई सर्जिकल घाव थीं।

11.10 पी.डब्ल्यू.-10, शिव नारायण राम ने अपने मुख्य परीक्षा-इन-चीफ में कहा है कि उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन के धारक द्वारा प्रदर्श-10 चिह्नित पिस्तौल का प्रस्तुतीकरण किया है। यह देसी पिस्तौल थी। इसमें गवाह रघु यादव के हस्ताक्षर हैं और आरोपी बिनोद खत्री के हस्ताक्षर भी हैं। इसमें सीजेएम के हस्ताक्षर भी हैं, जो प्रदर्श -1 और 2 चिह्नित हैं। इसके साथ एफएसएल नंबर भी टैग किया गया है। खाली कारतूस को भी टैग किया गया है। इस गवाह का कहना है कि इस पिस्टल पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। खाली कारतूस पर कोई कागज या हस्ताक्षर नहीं है।

11.11 **पीडब्ल्यू-11 सीमा तिलवानी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि घटना के समय वह किचन के अंदर थी। मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनकर उसकी *गोटनी* ने दरवाजा खोला और दो बार गोली चलने की आवाज सुनी। जिरह के दौरान इस गवाह का कहना है कि घटना के समय वह, उसका पति और उसके बच्चे कमरे के अंदर थे।

11.12पी.डब्ल्यू.-12 याशिका तिलवानी ने अपने मुख्य परीक्षा में बताया कि गोली की आवाज सुनकर वह भी बाहर आई तो देखा कि उसके पिता जमीन पर पड़े हैं। वह कमरे के अंदर थी। घर के बाहर सिर्फ उसकी मां ही आई थी।

11.13 पीडब्लू-13 के राजेश प्रकाश सिन्हा ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि किरण तिलवानी की गोली मारकर हत्या की गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स तैयार की गई थी। उन्होंने कार्यबल का नेतृत्व किया। सीडीआर के आधार पर उसने आरोपी बिनोद खत्री और मनीष अग्रवाल को दबोच लिया। बिनोद खत्री के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया गया और उसी के आधार पर मनीष को दबोच लिया गया।

11.14 **पी.डब्ल्यू.-14, सुधीर कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से, जासूस की मदद से छापा मारने के लिए कोलकाता रवाना हुए और बिनोद खत्री को दबोच लिया। जिनके पास से एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, शॉपिंग कार्ड, एक मोबाइल फोन और एक डायरे बरामद किया गया। उसी का जब्ती ज्ञापन प्रदर्श-11 है। यह उनकी कलम और हस्ताक्षर में है। वह मंडल पाड़ा पहुंचे जहां रेणुका मंडल के घर में बिनोद किराएदार थे। वहां से आठ सिम कार्ड और कुछ मोबाइल फोन बरामद किए गए जो मनोज सिंह के नाम पर थे और एक ड्राइविंग लाइसेंस, जो मनोज सिंह के नाम पर था, भी बरामद किया गया, लेकिन उसी पर बिनोद खत्री की तस्वीर थी। जब्ती ज्ञापन भी प्रदर्श-12 के रूप में तैयार किया गया था। दिनांक 27.01.2011 को वह कोलकाता से चला गया और दिनांक 28.01.2011 को उसने अभियुक्त बिनोद खत्री को अनुसंधान कर्ता कन्हैया प्रसाद सिंह को सौंप दिया। उसका कबूलनामा कन्हैया प्रसाद सिंह ने भी दर्ज किया था और बिनोद खत्री ने कबूल किया था कि 10.12.2010 को मंटू अग्रवाल बाइक चला रहा था और उसने किरण तिलवानी को गोली मार दी और दोनों वहां से भाग गए और वह सुनील यादव के घर में पिस्टल छिपाकर मोटरसाइकिल मनीष अग्रवाल को सौंप दी। बिनोद खत्री के इस इकबालिया बयान को प्रदर्श-13 चिह्नित किया गया है। सुनील यादव के घर से बिनोद खत्री के इकबालिया बयान पर बरामद की गई पिस्टल को प्रदर्श-एक्स चिह्नित किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर मनीष अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया। उनका गिरफ्तारी मेमो एक्जिबिट-15 है। मनीष अग्रवाल ने कबूल किया कि जेएमएच पार्किंग में उसके द्वारा मोटरसाइकिल खड़ी की गई थी। इसके 48 घंटे बाद बाइक को संबंधित थाने ने अनुचित बताते हुए अपने कब्जे में ले लिया। उसी का ज्ञापन प्रदर्श-17 है। अपनी हिरासत में चार दिनों के दौरान, बिनोद खत्री ने कभी भी उसके सामने कबूल नहीं किया, बल्कि ये

स्वीकारोक्ति जांच अधिकारी, कन्हैया प्रसाद सिंह के सामने की गई थी। उसके पास 25.01.2011 से 29.01.2011 तक कोलकाता कोर्ट से बिनोद खत्री की ट्रांजिट रिमांड थी और उसे आईओ कन्हैया प्रसाद सिंह को सौंप दिया गया था। उनकी मौजूदगी में मनीष अग्रवाल और बिनोद खत्री का इकबालिया बयान दर्ज किया गया। उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर लिए।

11.15 पीडब्लू-15 सुभाष कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि घटना के समय हल्ला सुनकर वह भी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस भी वहां मौजूद थी। पुलिस ने खाली कारतूस किरण तिलवानी के घर के पास से बरामद किए थे। खाली कारतूसों के जब्ती ज्ञापन पर भी उनके हस्ताक्षर हैं और प्रदर्श -15 चिह्नित हैं। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह का कहना है कि जब्ती ज्ञापन पर उसने केवल अपने हस्ताक्षर किए थे।

11.16 **पी.डब्ल्यू.-16, गोपाल खरबंदा** ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह खाली कारतूस के जब्ती ज्ञापन का गवाह भी है। वह प्रदर्श-15/1 चिह्नित अपने हस्ताक्षर की पहचान करता है। उनका कहना है कि खाली कारतूस पुलिस की जीप में रखे गए थे और उनसे अपने हस्ताक्षर करने को कहा। उसने डाल दिया उस पर उनके हस्ताक्षर।

11.17 पीडब्लू-17 कन्हैया प्रसाद सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि उन्होंने हरीश कुमार तिलवानी का फर्द बयान अस्पताल में रिकॉर्ड की थी। यह उनकी लिखावट और हस्ताक्षर में है। इस पर स्टेशन अधिकारी, रंगनाथ शर्मा द्वारा प्रदर्श-1/1 चिह्नित किया गया था। प्रदर्श 1/2 चिह्नित प्रकरण दर्ज करने के लिए रंगनाथ शर्मा द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। इस फर्द बयान के आधार पर हरिनंदन द्वारा प्रदर्श-1/3 अंकित औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई थी।

पृष्ठांकन को चिह्नित किया जाता है और औपचारिक एफआईआर को प्रदर्श -11 के रूप में चिह्नित किया जाता है। यह हरिनंदन की कलम और हस्ताक्षर में है। उन्होंने हरीश कुमार तिलवानी का दोबारा बयान दर्ज कराया। उन्होंने घायल अवस्था में घटना स्थल पर घायलों को भी पाया और वहां से तीन खाली कारतूस भी बरामद किए। उसी का रिकवरी मेमो भी उनके द्वारा तैयार किया गया था। उसी के ज्ञापन की बरामदगी पर उनके हस्ताक्षर भी हैं, जिसे रंगनाथ शर्मा द्वारा प्रदर्श-15/2 चिह्नित किया गया था। खाली कारतूस की प्रदर्श पर गोपाल खरबंदा और सुभाष कुमार के हस्ताक्षर भी लगाए गए। पुलिस अधीक्षक के आदेश से टास्क फोर्स का गठन किया गया। दिनांक 28.01.2011 को पुलिस अधिकारी सुधीर कुमार ने बिनोद खत्री को उन्हें सौंप दिया। मुख्तार सिंह और सुरेंद्र ठाकुर की मौजूदगी में बिनोद खत्री ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनके इकबालिया बयान को प्रदर्श-16 के रूप में चिह्नित किया गया है। सुनील यादव के घर से बिनोद खत्री के इकबालिया बयान पर पिस्टल बरामद कर उसी चिह्नित प्रदर्श-11 का जब्ती मेमो तैयार किया गया। उसने मनीष अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक सैमसंग मोबाइल फोन और उसी चिह्नित प्रदर्श-18 का रिकवरी मेमो बरामद किया। मनीष अग्रवाल ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उनका इकबालिया बयान प्रदर्श-19 है। मनीष अग्रवाल ने कहा कि जो मोटरसाइकिल उन्हें दी गई थी, वही उनके द्वारा पार्किंग में खड़ी की गई थी और इसे ले जाया गया था।

पुलिस ने 48 घंटे के बाद अनुचित और लावारिस होने के बाद, मोटरसाइकिल के रिकवरी मेमो को प्रदर्श -20 चिह्नित किया है। बरामद खाली कारतूस को भी एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया था। मोबाइल फोन की सीडीआर डिटेल भी उसने ली थी। बिनोद खत्री और मनीष अग्रवाल के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई थी, इसके बाद मंटू अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। कमलजीत का बयान भी मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया था। मोटरसाइकिल की टी.आई.पी. जिरह में इस गवाह का कहना है कि जांच के दौरान उसने ऑपरेशन थियेटर में होने के कारण घायलों का फर्द बयान या बयान दर्ज नहीं किया। पूरी जांच के दौरान उसने किरण तिलवानी को नहीं देखा और उसने अपना बयान दर्ज नहीं किया और पता चला कि उसे टीएमएच अस्पताल से दिल्ली ले जाया गया था, जहां 22-12-2010 को उसकी मृत्यु हो गई। घटना स्थल से, उन्होंने खून से सनी मिट्टी को अपने कब्जे में नहीं लिया। तीनों खाली कारतूसों को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया और मनीष अग्रवाल के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई। उसने मोटरसाइकिल की टीआईपी नहीं ली। पिस्टल को भी एफएसएल को जांच के लिए भेजा गया था। पूछताछ के दौरान किसी गवाह ने उसे यह नहीं बताया कि 16.12.2010 को टीएमएच अस्पताल में किरण तिलवानी ने आरोपी बिनोद खत्री पर गोली चलाने के संबंध में उसका नाम बताया था। उन्होंने 18-12-2010 को हरीश तिलवानी का बयान दर्ज किया। अपने बयान में रीतू तिलवानी ने यह भी नहीं कहा कि घायल ने हमलावर का नाम बिनोद खत्री बताया था। जांच के दौरान न तो राजेश तिलवानी और न ही चंद्र प्रकाश तिलवानी ने उन्हें बताया कि 16.12.2010 को घायल ने होश में होने के कारण हमलावर का नाम बिनोद खत्री और दूसरे का नाम मंटू अग्रवाल बताया था। टीएमएच अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें यह नहीं बताया कि किरण तिलवानी को होश आ गया है।

11.18 **पी.डब्ल्यू.-18, तौफीक अहमद** ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी थे। 27.07.2011 को जमशेदपुर सिविल कोर्ट में उन्होंने प्रदर्श-3/1 चिह्नित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कमलजीत सिंह का बयान दर्ज किया।

11.19 **पीडब्लू-19 राजेश कुमार रंजन** ने अपने मुख्य परीक्षा में बताया कि इस मामले की एफएसएल से थाने को मिली सामग्री उन्हें सौंपी गई। सामग्री प्रदर्श खाली कारतूस बाजार है जिसे सीलबंद लिफाफे में रखा गया है जिसे प्रदर्श A1, A2 और A3 चिह्नित किया गया है, जिसे उनके द्वारा प्रदर्श-III, III/1 और III/2 चिह्नित करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। जिस बॉक्स में ये प्रदर्श निहित थे, उस पर प्रदर्श-24 अंकित है। इन खाली कारतूसों पर, सबसे नीचे, KF 7.65 का उल्लेख किया गया है। तदनुसार न्यायालय में 18 सिम कार्ड भी प्रस्तुत किए गए। प्रदर्श-25 चिह्नित ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रस्तुत किया गया। सैमसंग मोबाइल फोन और डेबिट कार्ड का भी प्रस्तुत किया गया था।

12. इस मामले की एफआईआर **पीडब्ल्यू-1 हरीश कुमार तिलवानी ने** अपने छोटे भाई किरण तिलवानी की हत्या के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। एफआईआर केस के अनुसार, **पीडब्ल्यू-1 हरीश कुमार तिलवानी** को किरण तिलवानी की पत्नी **पीडब्ल्यू-5, रीतू टिलवानी** से पता चला कि दो बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे और एक पिलियन सवार ने उनके पति को गोली मार दी थी, जब वह अपने पति की मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर घर का दरवाजा खोली थी और उसका पति घायल अवस्था में गिर गया था। **पी.डब्ल्यू.-1, हरीश कुमार तिवानी** ने भी अपने भाई को घायल अवस्था में देखा, उसे

तत्काल टीएमएच अस्पताल ले जाया गया और 10.12.2010 को वहां भर्ती कराया गया और 19.12.2010 तक वहां भर्ती किया गया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, यह **पीडब्ल्यू -5 था, रितु तिलवानी**, जो स्टार गवाह है, ने दो हमलावरों को मोटरसाइकिल से आते देखा था और एक, जो पीछे की ओर सवार था

अपने पति को गोली मार दी थी। घटना दिनांक 10-12-2010 की है और **इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11-12-2010 को संबंधित पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी, इसलिए एफआईआर दर्ज कराने की तारीख तक हमलावरों के नाम ज्ञात नहीं थे**।

13. बिनोद खत्री, मंटू अग्रवाल और मनीष अग्रवाल का नाम सामने आया। एक टास्क फोर्स भी तैयार की गई और कोलकाता पहुंचे **पीडब्ल्यू-14 सुधीर कुमार** के नेतृत्व में टास्क फोर्स ने बिनोद खत्री को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और पैन, एटीएम और शॉपिंग कार्ड भी बरामद किए गए। उन्होंने कोलकाता सिविल कोर्ट के विद्वान मजिस्ट्रेट की अदालत से बिनोद खत्री की ट्रांजिट रिमांड ली और 28.01.2010 को उन्होंने आरोपी बिनोद खत्री को लाया और **गोलमुरी पुलिस स्टेशन में** जांच अधिकारी, कन्हैया प्रसाद सिंह को पी.डब्ल्यू.-17 को सौंप दिया।

14. पी.डब्ल्यू.-17, कन्हैया प्रसाद सिंह, इस मामले के जांच अधिकारी ने आरोपी बिनोद खत्री का इकबालिया बयान दर्ज किया, जिसने अपना अपराध कबूल किया और कहा कि वह और मंटू अग्रवाल दोनों मोटरसाइकिल से गए और किरण तिलवानी को रात में 10.12.2010 को गोली मार दी और उसने सुनील यादव को पिस्तौल सौंप दी, जिसका इस्तेमाल कथित अपराध के कमीशन में किया गया था। सुनील यादव के घर से इस आरोपी बिनोद खत्री के इकबालिया बयान पर वही पिस्टल भी बरामद हुई थी। इसके बाद, इस

गवाह ने यह भी कबूल किया कि मोटरसाइकिल उनके द्वारा मनीष अग्रवाल को दी गई थी। मनीष अग्रवाल को भी दबोच लिया गया और उन्होंने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल उसके द्वारा पार्किंग एरिया में खड़ी की गई थी, जिसे पुलिस ने 48 घंटे से अधिक समय बाद लावारिस होने के कारण हिरासत में भी ले लिया था। इसके बाद, अपराध के कथित कमीशन में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जांच अधिकारी ने पुलिस स्टेशन से हिरासत में ले लिया

इस प्रकार, आरोपी बिनोद खत्री, मंटू अग्रवाल और मनीष अग्रवाल के इकबालिया बयान और उनके पास से बरामद मोबाइल के कॉल डिटेल के आधार पर, कथित अपराध के कमीशन में उनका नाम प्रकाश में आया।

15. कथित अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल की पहचान मृतक **पीडब्ल्यू-5 की पत्नी रीतू तिलवानी** ने टीआईपी के दौरान की थी, लेकिन इस टीआईपी का संचालन **पीडब्ल्यू-5 चंद्र भूषण सिंह ने किया था**, जिन्होंने इस मोरोरसाइकिल की टीआईपी का संचालन किया था, ने कहा है कि टीआईपी के दौरान, 9 और मोटरसाइकिलें थीं, लेकिन टीआईपी चार्ट में, उन्होंने नौ अन्य मोटरसाइकिलों की संख्या का उल्लेख नहीं किया, जिनका उपयोग टीआईपी में किया गया था। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि टीआईपी चार्ट पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं थे। इसलिए इस मोटरसाइकिल की टीआईपी भी संदिग्ध हो जाती है। हालांकि, इस मोटरसाइकिल की पहचान **पीडब्ल्यू-5, रीतू तिलवानी** द्वारा की गई है, उसने कहा है कि उसने मोटरसाइकिल की पहचान उसके पंजीकरण संख्या से की है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में, जहां उसने मोटरसाइकिलों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। यहां तक कि उसने अपने बहनोई, **पीडब्ल्यू -1, हरीश कुमार तिलवानी**, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, को कथित

अपराध के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलों की संख्या का खुलासा नहीं किया, इस तरह, इस मोटरसाइकिल की टीआईपी भी संदिग्ध हो जाती है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

15.1 एआईआर 2011 एससी 72 ***में रिपोर्ट किए गए*** वरुण चौधरी बनाम राजस्थान राज्य के ***मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय*** ने निर्णय दिया है कि अपराध में प्रयुक्त वाहन की पहचान, अभियोजन पक्ष को यह अवश्य दर्शाना चाहिए कि अपराध के स्थान पर पाए गए टायर के निशान अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल के थे, टायर के निशान बरामद मोटरसाइकिल के टायर के निशान की तुलना में अपराध के स्थान से उठाए जाने हैं। पैराग्राफ नंबर 22 निम्नानुसार पढ़ता है:

> *"22. यह ध्यान देने योग्य है कि इस तथ्य का कोई सबूत नहीं है या यहां तक कि इस तथ्य का कोई संदर्भ भी नहीं है कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या पुलिस कर्मियों में से किसी ने भी अपराध के स्थान से मोटर साइकिल टायर के निशान उठाए थे ताकि इसकी तुलना अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल के टायर के निशान से की जा सके। जब तक अपराध के स्थान से टायर के निशान नहीं उठाए जाते हैं और बरामद मोटर साइकिल के टायर के निशान के साथ तुलना करने पर समान पाए जाते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि बरामद मोटर साइकिल का उपयोग अपराध में किया गया था। अपराध के स्थान पर मोटर साइकिल की उपस्थिति स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि अपराध के स्थान पर पाए गए टायर के निशान अभियुक्त द्वारा उपयोग की जाने वाली मोटर साइकिल के थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एफएसएल द्वारा प्राप्त मोटर साइकिल टायर के निशान सीलबंद स्थिति में नहीं थे। उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मोटर साइकिल टायर के निशान पर ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि विशेष टायर के निशान वाले मोटर साइकिल का उपयोग कथित अपराध में किया गया था।*

16. जहां तक पिस्तौल की बरामदगी का सवाल है, जिसे कथित तौर पर सुनील यादव के घर

से बिनोट खत्री के इकबालिया बयान पर बरामद किया गया है, जिसे इस बिनोद खत्री ने कथित रूप से सौंपा है, उसी का रिकवरी मेमो **पीडब्ल्यू-17, जांच अधिकारी कन्हैया प्रसाद सिंह** द्वारा साबित किया गया है। प्रदर्श-15 चिह्नित घटना स्थल से बरामद तीनों खाली कारतूसों को भी **पीडब्ल्यू-17, कन्हैया प्रसाद सिंह** ने सिद्ध किया है, लेकिन तीनों खाली कारतूसों अर्थात **पी.डब्ल्यू.-15/2, सुभाष कुमार और पी.डब्ल्यू.-16, गोपाल खरबंदा** दोनों के रिकवरी मेमो के गवाहों ने कहा है कि रिकवरी मेमो पर उनके हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन ये खाली कारतूस पुलिस की हिरासत में जीप में थे। बिनोद खत्री के इकबालिया बयान पर बरामद खाली कारतूस और पिस्टल को भी एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया था। प्रदर्श-22 चिह्नित इस एफएसएल रिपोर्ट की राय के अनुसार, जिसमें यह राय दी गई है कि सभी तीन खाली कारतूस अर्थात ए1, ए2 और ए3 को 7.65 मिमी चिह्नित प्रदर्श-'ए' की देसी पिस्तौल से दागा गया है**, जो 2011 के सिधगोरा पीएस केस नंबर 08 का** है। आरोपी बिनोद खत्री के इकबालिया बयान पर पिस्टल बरामद की गई

कोर्ट में भी पेश किया गया। इस पिस्तौल के रिकवरी मेमो **को** पिस्तौल के कक्ष पर 7.65 मिमी के रूप में भी चिह्नित किया गया है। पिस्टल के चैंबर में 7.5 एमएम का एक कारतूस भी भरा हुआ मिला। **इसका रिकवरी मेमो रघु यादव और ओम प्रकाश तिवारी की मौजूदगी में तैयार किया गया था, रिकवरी मेमो के इन दोनों स्वतंत्र गवाहों से अभियोजन पक्ष की ओर से पूछताछ नहीं की गई। इस पिस्तौल को एफएसएल को जांच के लिए नहीं भेजा गया था कि क्या इन तीन खाली कारतूसों को इस पिस्तौल द्वारा गोली मारी गई थी ताकि यह साबित हो सके कि उक्त पिस्तौल का इस्तेमाल उक्त अपराध करने में किया गया था।** एफएसएल में सिर्फ खाली कारतूस भेजे गए लेकिन यह पिस्टल एफएसएल को नहीं भेजी गई कि क्या ये खाली कारतूस इस पिस्टल से फायर किए गए

थे।

17. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि पी **डब्ल्यू.-2, चंद्र प्रकाश तिलवानी; पी.डब्ल्यू.-3, राजेश तिलवानी और; पी.डब्ल्यू.-5, रीतू तिलवानी** की गवाही पर आधारित है**। डब्ल्यू-2, चंद्र प्रकाश तिलवानी और पीडब्ल्यू-3, राजेश तिलवानी** दोनों ने कहा है कि घायल किरण तिलवानी को 10-12-2010 को टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह 19-12-2010 तक वहां रहा और 16-12-2010 को घायल किरण तिलवानी, जिसे आईसीयू में भर्ती किया गया था, होश में आ गया और इन गवाहों को बताया कि बिनोद खत्री ने ही उसे दुर्भाग्यपूर्ण रात को गोली मारी थी और दूसरा आरोपी मंटू अग्रवाल था लेकिन इन दोनों की गवाही गवाहों को विश्वसनीय नहीं पाया जाता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने जांच के दौरान इस तथ्य को **पी.डब्ल्यू.-17, जांच अधिकारी कन्हैया प्रसाद सिंह को नहीं बताया है**। **पी.डब्ल्यू.-17, कन्हैया प्रसाद सिंह** ने कहा है कि जांच के दौरान **पी.डब्ल्यू.-3, राजेश तिलवानी और पी.डब्ल्यू.-2, चंद्र प्रकाश तिलवानी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि घायल किरण तिलवानी ने 16.12.2010 को उन्हें बताया था कि हमलावर बिनोद खत्री और मंटू अग्रवाल थे**। इसलिए,

इन दो गवाहों यानी **पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू3** की गवाही विश्वसनीय नहीं है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने जांच अधिकारी कन्हैया प्रसाद सिंह को दिए अपने बयान में इस तथ्य को नहीं कहा था।

17.1 जहां तक पी.डब्ल्यू.-5, रीतू तिलवानी **की गवाही का** संबंध है, उसने अपने बयान में कहा कि अपीलकर्ता द्वारा गोली मारने पर उसका पति फर्श पर गिर गया और फर्श पर गिरते समय उसने बिनोद का नाम बताया**, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, घटना की तारीख यानी 10.12.2010 को, उसने पी.डब्ल्यू.-1 हरीश कुमार तिलवानी** अपने देवर **को बताया कि दो**

हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे और एक जो पीछे सवार था, उसने उसके पति को गोली मार दी थी, लेकिन उसने पीडब्ल्यू-1 हरीश कुमार तिलवानी को यह नहीं बताया कि उसके पति ने घायल हालत में किसी भी हमलावर का नाम बताया था। यहां तक कि इस गवाह ने मोटरसाइकिल की संख्या का खुलासा नहीं किया, हालांकि उसने हरीश कुमार तिलवानी को बस इतना बताया कि मोटरसाइकिल काले रंग की थी। पी.डब्ल्यू.-17, कन्हैया प्रसाद सिंह, जांच अधिकारी ने यह भी कहा है कि **जांच के दौरान पी.डब्ल्यू.-5, रीतू तिलवानी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि गोली लगने से घायल होने के दौरान उनके पति ने किसी भी हमलावर के नाम का खुलासा किया था, इसलिए पीडब्ल्यू-5, रीतू तिलवानी के बयान पर इस हद तक भरोसा नहीं किया जा सकता है।**

17.2 माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक***(2012) 4 एससीसी 124 ***के मामले में यह निर्णय दिया था।***

कि अदालत में गवाह की गवाही बिना उसने अपीलकर्ता को मृतक के पास खड़े देखा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था। गवाह ने किसी भी अन्य सबूत के अभाव में इस तरह की गवाही को आधार बनाने के लिए पांच साल तक किसी को भी खुलासा नहीं किया। पैराग्राफ No.19 के रूप में निम्नानुसार पढ़ता है:

> ***"19.*** *सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस के सामने अपने बयान में, पलानी (पीडब्ल्यू 7) ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया और न ही उसने किसी को यह बताया कि उसने अपराध के समय आरोपी व्यक्तियों को मौके पर देखा था। घटना के पांच साल बाद ही गवाह ने पहली बार अदालत में कहानी का खुलासा किया कि उसने अपीलकर्ताओं को मृतक के पास खड़े देखा था, जब जमीन पर पत्थर गिरने की आवाज के कारण पूर्व जाग गया था।*

18 **पी.डब्ल्यू.-8, डॉ. सुनील कुमार** ने अपने बयान में कहा है कि 16.12.2010 को

मरीज किरण तिलवानी टीएमएच अस्पताल में 10.12.2010 से 19.12.2010 तक अपने भर्ती होने के दौरान होश में था, लेकिन इस गवाह ने कहा है कि मरीज ने उसे कोई बयान नहीं दिया है, यहां तक कि **पीडब्ल्यू-8 भी, डॉ. सुनील कुमार** ने यह भी कहा है कि मरीज ने अपनी उपस्थिति में किसी को कोई बयान नहीं दिया था।

18.1 इसमें **पी.डब्ल्यू.-17 कन्हैया प्रसाद सिंह, जो जांच अधिकारी हैं,** का बयान भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि जांच के दौरान न तो पी**। डब्ल्यू-3, राजेश तिलवानी** और **पीडब्ल्यू-2, चंद्र प्रकाश टिलवानी** और **पीडब्ल्यू-5, रीतू तिलवानी** ने उन्हें बताया था कि मृतक घायल अवस्था में किसी हमलावर का नाम बता रहा था।**उन्होंने यह भी कहा कि टीएमएच अस्पताल के किसी भी डॉक्टर ने उन्हें यह नहीं बताया कि टीएमएच अस्पताल में घायल अवस्था में मृतक को कोई होश आया है।** उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक कि **पीडब्ल्यू-5, रीतू तिलवानी** ने भी उन्हें यह नहीं बताया है कि घटना की तारीख पर उनके पति ने गोली लगने के बाद जमीन पर गिरने के दौरान किसी हमलावर का नाम बताया था। अतः **पी.डब्ल्यू.-17, कन्हैया प्रसाद सिंह, पी.डब्ल्यू.-2, चन्द्र प्रकाश तिलवानी, पी.डब्ल्यू.-3, राजेश तिलवानी एवं पी.डब्ल्यू.-5, रीतू तिलवानी** की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

19 जहां तक मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले **पीडब्ल्यू-9 डॉ. आशीष जैन** की गवाही का सवाल है, तो यह साबित हो चुका है कि गोली के दो प्रवेश और दो निकास कुल 4 घाव थे

प्रकृति में एंटेमॉर्टम। जहां तक शल्य चिकित्सा घावों का संबंध है, यह कहा गया है कि ये घाव चिकित्सक द्वारा शल्य चिकित्सा के उद्देश्य से बनाए गए थे। **यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि आरोपी बिनोद खत्री, मंटू अग्रवाल और सुनील यादव तीनों को 2015 के ट्रायल नंबर 231 (राज्य बनाम बिनोद खत्री और दो अन्य) में बरी कर दिया गया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2015 की प्रति, जिसमें आरोपी बिनोद खत्री, मंटू अग्रवाल और सुनील यादव तीनों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1- बी) ए / 35,26 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया था।** इसके अलावा, यह पिस्तौल, जिसे बिनोद खत्री के इकबालिया बयान पर बरामद किया गया है, को एफएसएल को जांच के लिए कभी नहीं भेजा गया था और इस आशय की कोई एफएसएल रिपोर्ट नहीं है कि इसका इस्तेमाल उक्त अपराध को अंजाम देने में किया गया था।

20. इस मामले की एफआईआर, जो जांच के दौरान अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, उक्त अपराध के कमीशन में अपीलकर्ताओं की जटिलता की पहचान करने के लिए कोई टीआईपी नहीं की गई थी। **पी.डब्ल्यू.-17, कन्हैया प्रसाद सिंह, जांच अधिकारी ने स्वीकार किया है कि जांच के दौरान, उक्त अपराध के कमीशन में आरोपी व्यक्तियों की पहचान के संबंध में कोई टीआईपी नहीं की गई थी।** अदालत में पहली बार पहचान विश्वसनीय नहीं है।

20.1 2022 लाइव लॉ (SC) 582 ***में रिपोर्ट किए गए*** अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य ***के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय*** ने माना कि टीआईपी के बिना अदालत में पहली बार पहचान के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराना विवेकपूर्ण नहीं है। पैराग्राफ संख्या 6.7 निम्नानुसार पढ़ता है:

"6.7 पूर्वोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करने और यहां ऊपर वर्णित तथ्यों को देखते हुए, हमारी राय है कि अदालत में पहली बार केवल उनकी पहचान के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराना सुरक्षित और/या विवेकपूर्ण नहीं होगा।

21.अभिलेख पर साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हम यह मानते है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह की छाया से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इन आपराधिक अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

22. तदनुसार, इन आपराधिक अपीलों की **अनुमति दी** जाती है और सत्र विचारण संख्या 329/2011 में चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.05.2018 और सजा के आदेश दिनांक 09.05.2018 को **रद्द किया जाता है**।

23. इन अपीलकर्ताओं **को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए यदि** उनकी **अन्य किसी** वाद **में** जरुरत **नहीं हैं।**

24. लंबित अंतरवर्ती आवेदन (आवेदनों) का भी निपटान कर दिया गया है।

25. इस निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(सुभाष चंद, जे.)

प्रति आनंद सेन, जे: मैं सहमत हूं

(आनंद सेन, जे।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक: 16 अप्रैल, 2024, माधवा

ए.एफ.आर.

**यह अनुवाद शिव बचन यादव,
पैनल अनुवादक के द्वारा किया
गया।**